

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2016/वैशाख 7, 1938

No. 289]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2016/VAISAKHA 7, 1938

संचार और सूचना प्रौद्दोगिनी मंत्रालय

(इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्दोगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 446(अ).— केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिनी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) नी धारा 3 क नी उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम नी दूसनी अनुसूची का और संशोधन करती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-
 - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर या इलैक्ट्रानिक प्राधिकरण तकनीनी और प्रक्रिया नियम, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन ी तारीख वो प्रवृत्त होंगे।
- 2. सूचना प्रौद्दोगिनी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) नि दूसनी अनुसूची के स्तंभ संख्या (3) में, मद (छ) के स्थान पर निम्नलिखित मद सं. रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(छ) वह ीति, जिसमें सूचना अंीय चिन्हांक के माध्यम से अधिप्रमाणित ी जाएगी, डिजीटर हस्ताक्षर (अंतिम निकाय) नियम, 2015 के नियम 3 से 12 में विनिर्दिष्ट ीति और मानवों का, जहां तक उनका संबंध डिजीटल हस्ताक्षर के सुजन, भण्डारण और सत्यापन से है, अनुपालन करेगी।"

[फा. सं.12(04)/2014-सीसीए]

डा. अजय कुमार, अपर सचिव

टिप्पण: – मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 61(अ), तारीख 27 जनवरी, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि 539 (अ) तारीख 30 जून, 2015 द्वारा संशोधन किये गये।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2016

G.S.R 446(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3A of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Second Schedule to the said Act, namely:—

- 1. Short title and Commencement:-
 - These rules may be called the Electronic Signature or Electronic Authentication Technique and Procedure Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Information Technology Act, 2000, (21 of 2000), in the Second Schedule, under column number (3), for item (g), the following item shall be substituted, namely:-
 - "(g) The manner in which the information is authenticated by means of digital signature shall comply with the manner and standards specified in rules 3 to 12 of the Digital Signature (End entity) Rules, 2015 in so far as they relate to the creation, storage, and verification of Digital Signature".

[F.No. 12(04)/2014-CCA]

Dr. AJAY KUMAR, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, and Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 61(E), dated the 27th January 2015 and amended by G.S.R. 539(E), dated the 30th June 2015.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 447(अ).- केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणकर्ता अधिकारी) नियम, 2000 का और संशोधन करती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-
 - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणकर्ता अधिकारी) संशोधन नियम, 2015 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणकर्ता अधिकारी) नियम, 2000 की अनुसूची 4 में, प्ररुप ग, में "आवासीय पता" के नीचे और "विधिमान्य मोबाइल फोन सं." से पहले निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

	"कार्यालय का पता :
	संगठन 🖠
······································	संगठनात्मक ईकाई :
[फा. सं. 12(04)/ 2014-सीसीए]	
डा. अजय कुमार, अपर सचिव	

टिप्पण: – मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 789(अ), तारीख 17 अक्तूबर, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि 783 (अ) तारीख 25 अक्तूबर, 2011 और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि 62 (अ) तारीख 27 जनवरी, 2015 द्वारा संशोधित किये गये।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2016

G.S.R.447(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Information Technology (Certifying Authorities) Rules, 2000.

- 1. Short title and Commencement:-
 - (1) These rules may be called the Information Technology (Certifying Authorities) (Amendment) Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Information Technology (Certifying Authorities) Rules, 2000, in SCHEDULE IV, in Form C, under "Residential Address" and before "Mobile Phone Number", the following entries shall be inserted, namely:-

"Official Address	1	
Organisation		
Organisational Unit	-	 ٠

[F.No. 12(04)/2014-CCA] Dr. AJAY KUMAR, Addl. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, and Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R.789(E), dated the 17th October, 2000, and subsequently amended by notifications No. G.S.R. 783(E), dated the 25th October 2011 and notification No. G.S.R. 62(E), dated the 27th January, 2015.